अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-176/2015/881/9-8-2015-53ज/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद,,
उत्तर प्रदेश। (द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी)

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 16 अप्रैल, 2015

विषयः- आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि का ई-पेमेन्ट के माध्यम से निकायों के खाते में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-171/2015/410/9-8-2015-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 23.3.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि के सु-व्यवस्थित एंव समयबद्व रूप से निकायों के आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक से खोले गये बचत खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा स्थानान्तरित किये जाने की व्यवस्था किये जाने हेतु योजना के दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक से खोले गये बचत खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से स्थानान्तरित किये जाने हेतु निम्न प्रारूप पर सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को नगर विकास विभाग की ई-मेल (cc.urbandev@gmail.com) के माध्यम से 03 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

निकाय का नाम/जनपद	निकाय का खाता संख्या	ब्रांच/आईएफएससी कोड	माइकर कोड	बैंक का नाम /जनपद	अधिशासी अधिकारी का मोबाइल नम्बर/निकाय की ई-मेल आईडी
1	2	3	4	5	6

3. उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत निकायों को अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि से कराये गये कार्यो का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, यदि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो तो स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय न हो पाने के कारणों सहित

GO-ANy

स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढाये जाने हेतु अनुरोध पत्र शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4. जिन निकायों द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत की गयी प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोग कर द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह उपर्युक्त् प्रारूप में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत खोले गये बैंक खाते का विवरण 03 दिन के अन्दर निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि सम्बन्धित निकायों को द्वितीय किश्त की धनराशि निकायों के खाते में सीधे स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-171/2015/410/9-8-2015-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 23.3.2015 के द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।